

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Supply Revision Case No.- 46/2026

Md. Shahabuddin Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Anr. Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.9.26	आदेश प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक-29.09.2018 को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० सं०-7133/2025 तथा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-2393/2025 में दिनांक-13.03.2026 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। मामले का सारांश यह है कि :- - पूर्णिया जिलान्तर्गत के० नगर प्रखंड के पंचायत झुन्नी इस्तम्बरा में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की नयी अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित मेधा सूची के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में दिनांक-29.09.2018 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उक्त पंचायत क्षेत्र के लिए प्रकाशित मेधा सूची में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के सुयोग्य अभ्यर्थी नहीं रहने के आलोक में किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया। - विपक्षी सं०-05 (मो० अब्दुर रहीम) के द्वारा उक्त के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-642/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-23.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में विपक्षी (मो० अब्दुर रहीम) द्वारा इस न्यायालय में पी०डी०एस० अपील वाद सं०-78/2024 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-11.12.2024 को विपक्षी के नाम से उक्त पंचायत हेतु नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। - आवेदक द्वारा इस न्यायालय में पी०डी०एस० अपील वाद सं०-78/2024 में दिनांक-11.12.2024 को पारित आदेश व दिनांक-29.09.2018 को जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में गठित बैठक की कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० सं०-2393/2025 एवं 7133/2025 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-13.03.2026 को आवेदक को इस न्यायालय में अपील वाद दायर करने का सुझाव दिया गया। आवेदक का कथन है कि :- - प्रश्नगत पंचायत-झुन्नी इस्तम्बरा में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के नयी अनुज्ञप्ति हेतु उनके एवं विपक्षी (मो० अब्दुर रहीम) के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। जिला चयन समिति द्वारा विपक्षी के आवेदन में मैट्रिक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं रहने तथा आवेदक	



के आवेदन को उनके पिता के पास आटा चक्की रहने व उनके भाई के पूर्व से PDS Dealer रहने संबंधी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर के गलत प्रतिवेदन के आलोक में रद्द कर दिया गया।

- आवेदक के पिता के पास आटा चक्की थी, परन्तु उसे विज्ञापन प्रकाशित होने के पूर्व ही वर्ष 2013-14 में बंद कर दिया गया था। साथ ही उनके भाई का PDS Dealer रहने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित नहीं किया गया।
- इस न्यायालय द्वारा विपक्षी (मो० अब्दुर रहीम) के स्तर से लाये गये पी०डी०एस० अपील वाद सं०-78/2024 में उनके (मो० शहाबुद्दीन) पक्ष को सुने बिना ही दिनांक-11.12.2024 को विपक्षी के पक्ष में नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश पारित किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

समर्पित दस्तावेजों की सूची :-

- अनुज्ञप्ति हेतु दायर आवेदन की छायाप्रति।
- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा दिनांक-29.09.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति।
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर का पत्रांक-99, दिनांक-12.09.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन (आवेदक से संबंधित) की छायाप्रति।
- विपक्षी के आवेदन की छायाप्रति।
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर का पत्रांक-100, दिनांक-12.09.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन (विपक्षी से संबंधित) की छायाप्रति।
- तुलनात्मक विवरणी की छायाप्रति।
- विपक्षी द्वारा आयुक्त न्यायालय में दायर वाद पत्र की छायाप्रति।

विपक्षी सं०-05 का कथन है कि :-

- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-739, दिनांक-24.07.2018 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र प्रेषित करते हुए नई जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु मेधा सूची प्रकाशित करने का निदेश दिया गया। साथ ही उक्त पत्र में आवेदनकर्ता (जिनको कोई दावा आपत्ति हो) को दिनांक-30.07.2018 तक जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में साक्ष्य सहित दावा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया। जिसके उपरांत विपक्षी द्वारा फोकानिया (मैट्रिक), मौलवी (इंटर) का Marksheet जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक-28.07.2018 को समर्पित किया गया। इसके बावजूद जिला चयन समिति, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-29.09.2018 को लिये गये निर्णय में इनका जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रूप में चयन नहीं किया गया।
- चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध CWJC No. 642/2019 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-23.01.2024 को आदेश पारित करते हुए आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया के समक्ष वाद दायर करने हेतु निदेश दिया गया।
- उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में आयुक्त न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं०-78/2024 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-11.12.2024 को जिला चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए विपक्षी के पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु



82

आदेश पारित किया गया।

- विपक्षी को अनुज्ञप्ति सं०-01/2024 निर्गत करने के पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर द्वारा अपीलार्थी के मेल में आकर उनको अद्यतन माल आवंटित नहीं किया गया है।
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर के पत्रांक-99, दिनांक-12.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के भाई के नाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दुकान पूर्व से है।

समर्पित दस्तावेजों की सूची :-

- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का पत्रांक-739, दिनांक-24.07.2018 की छायाप्रति।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष मार्कसीट संलग्न करने संबंधी आवेदन की छायाप्रति।
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर का पत्रांक-99, दिनांक-12.09.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन (आवेदक से संबंधित) की छायाप्रति।
- अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर का ज्ञापांक-621, दिनांक-18.12.2024 (विपक्षी के अनुज्ञप्ति से संबंधित)
- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर का पत्रांक-13, दिनांक-04.02.2025 (ई०पोश मशीन, चार्जर, IRIS उपलब्ध कराने संबंधित) की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर के पत्रांक-99, दिनांक-12.09.2017 एवं समाहर्ता, पूर्णिया से प्राप्त कंडिकावार मंतव्य के अनुसार आवेदक के पिता के पास आटा चक्की मील है एवं उनके भाई जन वितरण प्रणाली के दुकानदार है। आवेदक द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं समाहर्ता द्वारा उनके संबंध में अंकित किये गये बिन्दुओं का खंडन करने हेतु कोई साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विपक्षी का चयन दिनांक-29.09.2018 के बैठक में केवल इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उनके द्वारा मैट्रिक एवं इंटर का अंक पत्र/प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया था, जो उनके द्वारा दावा/आपत्ति हेतु निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत समर्पित कर दिया गया था। साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के० नगर के पत्रांक-100, दिनांक-12.09.2017 के द्वारा विपक्षी को सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत अपील वाद को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।



आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।



आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

